न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 107–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 42/निगरानी/2006–07 ।

.....

1–श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0श्री रामसिंह
2–सुरेश पुत्र स्व0श्री रामसिंह
3–प्रकाश पुत्र स्व0श्री रामसिंह
4–संजय पुत्र स्व0श्री रामसिंह
5–अजय पुत्र स्व0श्री रामसिंह
6–विजय पुत्र स्व0श्री रामसिंह
निवासी राजामण्डी ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–ठाकुरदास पुत्र श्री छोटेलाल
निवासी हाल कोटेश्वर तिराहा ग्वालियर
2–जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल
निवासी रंगियाना मोहल्ला ग्वालियर
3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एम0पी0भटनागर, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश एक नियम दस के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–2–17 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बनाया गया एवं प्रकरण के निराकरण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 9–5–2007 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई एवं सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–1–2011 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पुनर्स्थापित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील में समय सीमा का बिन्दु निहित था अतः अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु का निराकरण करना था, परन्तु ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व का निर्धारण व्यवहार द्वारा कर दिया गया है और उसी के पालन में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही थी अतः अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

इसके बावजूद अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त न्यायालय द्वारा अनोवदक को पक्षकार बनाने के संबंध में जो आधार लिये है कि विकय पत्र के आधार पर वह हितधारी व्यक्ति होकर आवश्यक पक्षकार है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । जहॉ तक समय सीमा अधिनियम की धारा 5 तथा यथास्थिति के बिन्दुओं का प्रश्न है प्रकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ विचाराधीन है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह समय सीमा/स्थगन के बिन्दु पर भी उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर स्पष्ट निष्कर्ष निकाले ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2011 स्थिर रखा जाता है । अनुविभागीय अधिकारी उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर